



2026:AHC: 54434

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या- 5447/2026

नियाज अहमद

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: सत्य प्रकाश राय, योगेश कुमार सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता, गुंजन शर्मा

न्यायालय संख्या-66

(क्रम संख्या 121 में से 102)

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1- सूची दोहरायी गई।

2- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री योगेश कुमार सिंह, सूचनादाता की विद्वान अधिवक्ता सुश्री गुंजन शर्मा और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री सुनील कुमार को सुना गया।

3- वर्तमान जमानत आवेदन, आवेदक की ओर से, थाना मुंडाली, जिला मेरठ में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 126 वर्ष 2020, भा.द.सं. की धारा 147, 148, 149, 352, 302, 307, 504 और 34 के अंतर्गत उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।

आवेदक की ओर से तर्क:

4- यह आवेदक की ओर से दूसरा जमानत आवेदन है। पहला जमानत आवेदन इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 4555 वर्ष 2022 में पारित आदेश दिनांक 04.08.2022 के माध्यम से स्वीकार किया गया था।

5- सूचनादाता ने उक्त आदेश को चुनौती दिया, और 04.08.2022 के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30.09.2022 के एक विस्तृत आदेश द्वारा अपास्त कर दिया गया। उक्त जमानत अस्वीकृति आदेश का प्रासंगिक प्रस्तर 19 नीचे इस प्रकार उद्धृत किया गया है:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"उच्च न्यायालय अपराध की गंभीरता पर प्रभाव डालने वाले तथ्यों पर ध्यान देने में विफल रहा है। इस घटना में आग्नेयास्त्र से लगी चोटों के परिणामस्वरूप अपीलकर्ता के दो बेटों की हत्या हुई है। प्रथम प्रत्यर्थी का नाम विवेचना के दौरान द.प्र.सं. की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज बयान में स्पष्ट रूप से सामने आया है। वास्तव में, क्रास-केस, जिसमें यह अभिकथन किया गया है कि प्रथम प्रत्यर्थी विवेचना के दौरान घायल हो गया था, प्रथम दृष्टया घटना स्थल पर उसकी उपस्थिति को इंगित करता है। विवेचना के दौरान प्रथम प्रत्यर्थी की भूमिका सामने आने और उसके बाद आरोप-पत्र दाखिल होने के बाद, हमारा स्पष्ट विचार है कि उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत देने का कोई मामला नहीं बनता था। प्रथम प्रत्यर्थी लगभग दो वर्ष और दो माह की अभिरक्षा काट चुका है। इसके अलावा, मेरठ में अपर सत्र न्यायाधीश ने अपने दिनांक 23 अगस्त 2022 के आदेश में इस तथ्य का उल्लेख किया कि प्रथम प्रत्यर्थी जमानत दिए जाने के बाद से विचारण से लगातार अनुपस्थित रहा है और उसने बार-बार स्थगन मांगा है, जिसके परिणामस्वरूप साक्षीगण का जिरह संपन्न होना शेष है। परिणामस्वरूप, यह स्पष्ट है कि प्रथम प्रत्यर्थी ने जमानत पर रिहा होने के बाद उच्च न्यायालय द्वारा अपने दिनांक 7 अप्रैल 2022 के आदेश में दिए गए निर्देशों के बावजूद विचारण के शीघ्र निस्तारण में सहयोग करने में विफल रहा है। वह विचारण के निष्कर्ष से बच रहा है।"

6- यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आवेदक के जमानत आदेश को अपास्त करने का मुख्य आधार यह था कि आवेदक के अधिवक्ता ने साक्षीगण की जिरह पर ध्यान नहीं दिया।

7- उक्त आदेश के बाद, आवेदक के अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय के समक्ष द.प्र.सं. की धारा 362 के अंतर्गत एक आवेदन दाखिल किया, जिसमें यह इंगित किया गया कि आदेश पत्र में किए गए कथनों को सुधारा जा सकता है, क्योंकि न्यायालय कुछ तिथियों पर उपस्थित नहीं था और आवेदक के अधिवक्ता द्वारा केवल एक तिथि, अर्थात् 23.08.2022 को स्थगन लिया गया था। तीन तिथियों, अर्थात् 04.08.2022, 08.08.2022 और 18.08.2022 के संबंध में आदेश पत्र को सुधारा जा सकता है।

8- आवेदक के अधिवक्ता विचारण में सहयोग कर रहे हैं और साक्षीगण से जिरह करने में नियमित रूप से लगे हुए हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9- सह-अभियुक्त, जिसका प्रकरण आवेदक के समान आधार पर है, अर्थात् गयूर, को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 36427 वर्ष 2023 में पारित आदेश दिनांक 26.09.2023 के माध्यम से जमानत पर रिहा किया गया है।

10- उक्त आदेश को सूचनादाता द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) डायरी संख्या 33688 वर्ष 2024 दाखिल करके भी चुनौती दी गई थी, और इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 25.11.2024 के माध्यम से खारिज कर दिया था, जिससे समन्वय पीठ के उक्त आदेश की पुष्टि हुई।

11- वर्तमान वाद का एक क्रास-केस है, और सूचनादाता ने उक्त वाद में जमानत के लिए आवेदन नहीं किया है, क्योंकि विचारण अपनी प्रारंभिक अवस्था में है और अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इस प्रकार, निकट भविष्य में विचारण के निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि यह स्थापित विधि है कि क्रास-केसों का निर्णय एक ही न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

12- आवेदक का प्रकरण सह-अभियुक्त व्यक्ति के समतुल्य होने के कारण, आवेदक जमानत का हकदार है।

13- आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह 14.10.2022 से कारागार में है और विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार है।

राज्य/सूचनादाता की ओर से तर्क :

14- आवेदक ने स्वच्छ हाथों से न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया है।

15- वर्तमान वाद दोहरे हत्याकांड का मामला है, और आवेदक के अधिवक्ता ने केवल विचारण में देरी करने के लिए 20.01.2026 को द.प्र.सं. की धारा 311 के अंतर्गत एक आवेदन दाखिल किया है। वे इसमें देरी करने और केवल कारावास की अवधि के आधार पर इस न्यायालय से जमानत मांगने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं।

16- सूचनादाता ने इस न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 27.02.2026 को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दिया है, और यह कोई क्रास-केस नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



17- आवेदक के अधिवक्ता कल, अर्थात 16.03.2026 को विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए; इस प्रकार, साक्षी से जिरह करने का अवसर समाप्त कर दिया गया। विचारण अपने निर्णायक अंत पर है।

18- आवेदक के अधिवक्ता की कार्यप्रणाली यह है कि वह लगभग 3:45 बजे न्यायालय में उपस्थित होते हैं और फिर साक्षीगण से आंशिक रूप से जिरह करते हैं और शाम 4:00 बजे न्यायालय का समय समाप्त होने पर इसे स्थगित करवा देते हैं।

निष्कर्ष :

19- इस न्यायालय ने संबंधित विचारण न्यायालय से विचारण की स्थिति मांगी थी। दिनांक 27.02.2026 की उक्त स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, 10 साक्षीगण का परीक्षण पहले ही किया जा चुका है। पीडब्लू-10, डॉ. अन्तेश कुमार की जिरह जारी है। उनका पहली बार परीक्षण 09.02.2026 को किया गया था, और उनकी जिरह 27.02.2026 को जारी रही। अगली नियत तिथि 23.03.2026 है।

20- **एक्स बनाम राजस्थान राज्य और एक अन्य, 2024 आईएनएससी 909** के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि एक बार विचारण शुरू हो जाने के बाद, इसे अपने अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने दिया जाना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप या तो अभियुक्त की दोषसिद्धि या दोषमुक्ति हो सकती है। आरोप विरचित होने के बाद अभियुक्त को सामान्यतः जमानत नहीं दिया जाना चाहिए। बयानों में यहाँ या वहाँ की विसंगतियों को देखकर भी इसे नहीं दिया जाना चाहिए।

21- पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए परस्पर विरोधी तर्कों को सुनने के बाद और इस तथ्य पर विचार करने के बाद कि वर्तमान वाद में दो व्यक्तियों की हत्या कर दी गई थी और एक घायल साक्षी है, जो घटना का स्वाभाविक चक्षुदर्शी साक्षी है, इस तथ्य के साथ कि आवेदक को दी गई जमानत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30.09.2022 के आदेश के माध्यम से अपास्त कर दी गई थी, मैं इसे आवेदक को जमानत देने के लिए एक उपयुक्त मामला नहीं पाता हूँ।

22- जमानत आवेदन को गुण-दोष रहित पाया गया है और तदनुसार **खारिज** किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



23- हालाँकि, यह निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित पूर्वोक्त वाद को यथाशीघ्र निर्णीत किया जाए, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णयों **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य; 2015 (3) एससीसी 220** और **हुसैन और एक अन्य बनाम भारत संघ; (2017) 5 एससीसी 702** के वादों में निर्धारित सिद्धांत के दृष्टिगत, यदि कोई विधिक बाधा नहीं है, तो किसी भी पक्ष को कोई अनावश्यक स्थगन दिए बिना किया जाए।

24- यह स्पष्ट किया जाता है कि इसमें की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षकारों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान वाद के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

17 मार्च, 2026

(रवि कांत)